विविध **बैंक प्रकरण संख्या 36/2023**(GCMS : **2023/49**) **ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड** (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8 जवाहरनगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड, नजदीक गौड हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियों कलेक्शन मैनेजर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद **बनाम 1.जगदीश पुत्र श्री राम स्वरूप** निवासी पोस्ट ऑफिस चक महाराजका, गांव भागसर जिला श्रीगंगानगर–मूल ऋणी **2. राम स्वरूप पुत्र बिश्नाराम** निवासी वार्ड नं. 10, 11 बी एन डब्ल्यू चक भागसर जिला श्रीगंगानगर – सहऋणी **3. राज प्रताप पुत्र श्री बिशनाराम** निवासी 169 वार्ड नं. 10, नजदीक बड़ी मस्जिद, जिला श्रीगंगानगर – सहऋणी **4. श्रीमती इन्द्रा देवी** पत्नी श्री रामस्वरूप निवासी भागसर, पोस्ट ऑफिस चक महाराजका, जिला श्रीगंगानगर – सहऋणी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरता एवं सुरेन्द्र मेहन्दीरत्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 08.03.2023 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण जगदीश, राम स्वरूप, राम प्रताप एवं इन्द्रा देवी** को ऋण सुविधा के रूप में कुल 5.30 लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख तीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 31.10.2018 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **रामस्वरूप की सम्पत्ति पट्टा नं. 04, बुक नं. 195 (क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर तहसील सादुलशहर एवं राम प्रताप की सम्पत्ति पट्टा नं. 05, बुक नं. 195 (क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के … नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण … दिनांक 08.10.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 10.10.2022 को 5,63,304/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के
अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 10.10.2022 को उक्त बकाया राशि जमा
करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस
अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14.10.2022 से भिजवाये गये है तथा दो
समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 29.10.2022 को
प्रकाशित करवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त
बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों **द्वारा सुरक्षा की
एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई अप्रार्थी **रामस्वरूप की सम्पत्ति पट्टा
नं. 04, बुक नं. 195 (क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर
तहसील सादुलशहर एवं राम प्रताप की सम्पत्ति पट्टा नं. 05, बुक नं. 195 (क्षेत्रफल
35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर तहसील सादुलशहर जिला
श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में
उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी
अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण
जगदीश, राम स्वरूप, राम प्रताप एवं इन्द्रा देवी को** 5.30 रूपये (अखरे रूपये पांच
लाख तीस हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.10.2018 को **प्रदान की
थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रामस्वरूप ने अपनी **सम्पत्ति पट्टा नं. 04,
बुक नं. 195 (क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर
तहसील सादुलशहर एवं राम प्रताप ने अपनी सम्पत्ति पट्टा नं. 05, बुक नं. 195
(क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर तहसील सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी [illegible] प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं
उसके समर्थन में प्रस्तुत [illegible] पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का
खाता दिनांक 08.10.2022 **को अनर्जक [illegible]सम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गये। बैंक द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 10.10.2022** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14.10.2022 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थीगण के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस का दो समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करवाया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी रामस्वरूप की सम्पत्ति **पट्टा नं. 04, बुक नं. 195 (क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर तहसील सादुलशहर एवं राम प्रताप की सम्पति पट्टा नं. 05, बुक नं. 195 (क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.10.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 10.10.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) [illegible] स **अप्रार्थीगण को <u>रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14.10.2022</u>** को भिजवाया [illegible] **<u>पत्रावली में उपलब्ध है</u> तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के** [illegible]**लाईन ट्रैक की रसीद पत्रावली में उपलब्ध**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

है। **इसके बावजूद प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 29.10.2022 को प्रकाशित करवाया है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी रामस्वरूप एवं राम प्रताप के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों रामस्वरूप एवं रामप्रताप द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई **सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 04, बुक नं. 195 (क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर तहसील सादुलशहर एवं पट्टा नं. 05, बुक नं. 195 (क्षेत्रफल 35 गुणा 77 फीट = 2695 सक्वायर फीट) गांव भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर